रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERD NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकरण से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 179] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 20, 1987/श्रावण 29, 1909
No. 179] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 20, 1987/SRAVANA 29, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 20 अगस्त, 1987

सार्वजनिक सूचना

सं. प्रतिअदायगी/सा.सू. 12/87

फा.सं. 600/2705/87/प्र.अ.—सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्रतिग्रदायगी नियमावली, 1971 (भारत के राजपत्र, असाधारण, दिनांक 25 अगस्त, 1971 में प्रकाशित अधिसूचना सं. 52/फा सं. 602/2/70-प्र.अ) के नियम 4 के साथ पठित नियम 3 के अधीन केन्द्रीय सरकार समय-समय पर यथासंशो-

थित सार्वजनिक सूचना सं. प्रतिअदायगी/सा.सू. 9/87, दिनांक 30 मई, 1987 में प्रकाशित रणी में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है :—

उपक्रमांक 2711 के अंतर्गत "टिप्पणी" के स्थान पर निम्नलिखित "टिप्पणी" प्रतिस्थापित की जाएगी:—

"टिप्पणी :—निर्यातकर्ता को, उपक्रमांक 2705, 2706 और 2711 की विनिर्दिष्ट दर पर प्रति अदायगी के अतिरिक्त, फैब्रिक अन्तर्वस्तु, यदि उन्हें रंगा गया हो, को 1.25 प्रति किलोग्राम की दर पर अतिरिक्त प्रतिअदायगी भी मिलेगी।"

यह सार्वजनिक सूचना 20 अगस्त, 1987 को प्रवृत्त होगी।

कामेश्वरी सुब्रह्मणियम, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 20th August, 1987

PUBLIC NOTICE

No. DRAWBACK|PN-12|87

F. No. 600|2705|87-DBK.—Under Rule 3 read with Rule 4 of the Customs & Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 (Notification No. 52|F. No. 602|2|70-DBK published in the Gazette of India (Extra-ordinary), dated the 25th August, 1971, the Central Government hereby makes the following amendment in the Table published in the Ministry's Drawback PN-9|87 dated the 30th May, 1987.

For the "Note" under SS No. 2711, the following 'Note' shall be substituted, namely :—

"Note.—In addition to the drawback at the rate specified in respect of S. S. Nos. 2705, 2706 and 2711 the exporter would also be eligible to an additional drawback at the rate of Rs. 1.25 per kg. of fabric content, if dyed."

This Public Notice shall come into force on the 20th day of August, 1987.

KAMESWARI SUBRAMANIAN, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987